

वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वन गूणि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम राख्या FP/CG/Other/20422/2016

7. परियोजना/स्कीम का रथान

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	बस्तर
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वन मंडल जगदलपुर
(iv) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.699 है।
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1428, 1086 एवं 1071 रक्खा 0.296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रक्खा 0.153 हैं। एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रक्खा 0.250 हैं। कुल रक्खा 0.699 है। आटिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।
(vi) हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.7 तक
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिणामना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाएं।	वृक्षों का विलोहन नहीं किया जायेगा।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं।
(ix) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की चाग की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित स्थल वनभूमि है।
(x) क्या फार्ग राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव बार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाएं)	नहीं।
(xi) क्या क्षेत्र में बनस्पति और प्राणिजात की	नहीं।

<p>दुलभ/ सकंटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।</p>	
<p>(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में रिथत है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।</p>	<p>नहीं।</p>
<p>8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलग 2 में प्रतावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।</p>	<p>प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।</p>
<p>9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।</p>	<p>नहीं</p>
<p>10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा—</p>	
<p>(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अग्रिमिर्दित वनेतर क्षेत्र/ आरा पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।</p>	<p>आवश्यक नहीं।</p>
<p>(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्षित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को वर्णाता गैय।</p>	<p>आवश्यक नहीं।</p>
<p>(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, रागम अनुरूपी लागत ढांचा आदि।</p>	<p>आवश्यक नहीं।</p>
<p>(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।</p>	
<p>(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अग्रिमिर्दित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रगाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हरताक्षरित किया जाए)</p>	<p>आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं।</p>
<p>11. जिला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को वर्णाते हुए (रांगमन करें)</p>	<p>प्रतावित क्षेत्र 40.000 हेक्टर होने के कारण वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।</p>
<p>12. विभाग/ जिला प्रोफाइल</p> <p>(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र</p>	<p>4091.000 वर्ग किमी।</p>

(ii)	जिले का वन क्षेत्र	आरक्षित वन — 1083.761 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन — 661.326 वर्ग कि.मी. असीमांकित वन — 466.720 वर्ग कि.मी. <u>2211.807 वर्ग कि.मी.</u>
(iii)	भासलों की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कोसारटेडा गध्यम सिंचाई परियोजना — 595.630 हे० प्र०मं०ग्रा०स०यो० गिट्टी उत्खनन योग उडियापाल, लिलमिली, इरपा — 2.400 हे० बी०क्कार०ओ० सॅडक चौड़ीकरण — 37.031 हे० सर्वेक्षण संशोहन निर्माण — 0.789 हे० रेल लाईन निर्माण — 10.763 हे० गोण्ड जलाशय — 0.630 हे० पीठापुर जलाशय — 7.860 हे० तारापुर जलाशय — 19.448 हे० रक्षा अनुरोधान एवं पिकास — 132.598 हे० पुलिस बौकी निर्माण — 0.900 हे० पानी पाईप लाईन निर्माण — 25.720 हे० विद्युत लाईन निर्माण — 4.712 हे० जल विद्युत परियोजना — 19.718 हे० <u>योग 858.199 हे०</u>
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वर्णनमि। (ख) बनेतर भूमि पर	नहीं।
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) बनेतर भूमि पर	नहीं।
		वैकल्पिक वृक्षारोपण — 5635.000 हे० आर.डी.एफ — 6200.000 हे० योग — 11835.000 हे० 30.00 हे०क्टेयर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन रांक्षक की विशेष सिफारिश

आवेदक रिलायंस जियो इफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा जगदलपुर से भानपुरी तक लम्बाई लगभग 39.48 कि.मी. रांक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1428, 1086 एवं 1071 रक्बा 0.296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रक्बा 0.153 हैं. एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रक्बा 0.250 हैं. कुल रक्बा 0.699 है. वनभूमि /राजस्व वनभूमि में आटिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है। अतः वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की रवीकृति हेतु अनुशंसा एतद द्वारा की जाती है।

दिनांक:- जगदलपुर

स्थान:- 14.12.2016


(राजु अगसिमनि)
भा.व.से
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर